Result Mitra Daily Magazine

खुली जेल

➢ चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में गुरुवार (12 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर भारत की सबसे बड़ी खुली जेल (Open Jail) सांगानेर या डॉ. संपूर्णानंद खुली जेल का दौरा करेंगे।
- दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा जेल द्वारा उपयोग की जा रही कुछ भूमि पर अस्पताल बनाने की योजना के बाद विवाद उत्पन्न हो गया।

➢ क्या है विवाद ?

- इस वर्ष की शुरुआत में राजस्थान विकास प्राधिकरण को राजस्थान सरकार ने सांगानेर खुला जेल में अस्पताल के निर्माण के लिए कुछ भूखंड आवंटित किया।
- राजस्थान सरकार के इस फैसले के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रसून गोस्वामी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर करते हुए कि सरकार की अस्पताल खोलने की योजना जेल के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगी।
- प्रसून गोस्वामी ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा अस्पताल बनाने के लिए आवंटित 21,948 वर्ग मीटर की भूमि जेल के कामकाज का अभिन्न अंग है।
- इस मामले में 17 मई को पहली सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खुली जेल का दायरा कम नहीं किया जाना चाहिए।

- पिछले महीने 25 नवंबर को न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथ की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि खुले जेलों और एक अस्पताल की जरूरतों के बीच संतुलन होना चाहिए, जो आसपास रहने वाले नागरिकों की जरूरत को पूरा करेगा।
- इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने साइट का निरीक्षण करने और चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया था।

➢ खुली जेल क्या है ?

- मॉडल कारागार और सुधार सेवा अधिनियम–2023 के अनुसार खुली जेल को ऐसी सुधार संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें पात्र कैदियों को नियमों के तहत रखा जाता है ताकि उन्हें पुनर्वास की सुविधा के लिए नियमित जेल के बाहर अधिक स्वतंत्रता दी जा सके।
- चूंकि जेलें राज्य विषय के अंतर्गत आती है इसलिए राज्य सरकारों ने खुली जेल की स्थापना के लिए अपने नियम बनाए हैं।
- भारत में जेलें "जेल अधिनियम–1900" के द्वारा शासित होता है और प्रत्येक राज्य अपने जेल नियमों और मैनुअल का पालन करते हैं।
- राजस्थान कैदी ओपन एयर कैंप नियम–1972 खुली जेल को बिना दीवारों, सलाखों और ताले वाली जेलों के रूप में परिभाषित करता है।
- वर्तमान में भारत के 17 राज्यों में कार्यात्मक खुली जिले हैं, जिनमें से सबसे अधिक 41 खुली जेलें राजस्थान में है, जो किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है।
- राजस्थान के बाद सबसे अधिक खुली जेलें महाराष्ट्र में 19 है।
- भारत के जेल सांख्यिकी–2022 के अनुसार देश में कुल 91 खुली जेलें हैं, जिनकी कैदियों की क्षमता 6,043 है और इसमें लगभग 4,473 कैदी बंद है।

➢ खुली जेलों के लिए कौन पात्र है ?

- प्रत्येक राज्य का जेल कानून उन कैदियों की पात्रता मानदंड को परिभाषित करता है, जो खुली जेल में रह सकते हैं।
- आमतौर पर खुली जेल के लिए पात्र दोषियों का चयन करने के लिए उनके अपराध की प्रकृति, जेल में उनके व्यवहार और आचरण तथा उनकी सजा की कितनी अवधि पूरी हो चुकी है, इस पर निर्भर करता है।
- खुली जेलों में न्यूनतम सुरक्षा होती है और दोषियों को कृषि सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए बाहर जाने की अनुभूति होती है।
- खुली जेलें नियमित जेलों में भीड़भाड़ कम करने में मदद करते हैं और कैदियों के लिए उनकी सजा पूरी होने के बाद समाज में फिर से शामिल होना आसान बनाता है।
- कुछ राज्यों में खुली जेल के रूप में अलग-अलग कॉलोनियां स्थापित की गई है, जहां खुली जेल के कैदी अपने जीवनसाथी के साथ रह सकते हैं।
- राजस्थान जेल निगम खुली जेल में कैदियों के प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड भी निर्दिष्ट करता है।
- जेल सुधार पर अखिल भारतीय समिति ने भी सिफारिश की है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे जिन कैदियों की हालात अच्छी है, उन्हें अर्ध–खुली और खुली जेल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

➢ भारत में खुली जेलों की शुरुआत :

- स्वतंत्र भारत में पहली खुली जेल की स्थापना वर्ष 1949 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक जेल परिसर में की गई थी।
- इसी तरह की अन्य खुली हवा वाली जेलों की स्थापना वर्ष 1952 में उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में की गई।
- जेल सुधार पर अखिल भारतीय समिति (1980–83) जिसे न्यायमूर्ति मुल्ला समिति के नाम से भी जाना जाता है, का कहना है कि वर्ष 1952 में हेग सम्मेलन में खुली हवा में जेलों का गठन का सुझाव दिया गया था।
- इस खुली हवा की जेलों का गठन का मुख्य उद्देश्य कैदियों को उनकी सजा का एक निश्चित हिस्सा पूरा करने के बाद उनको सामुदायिक जीवन जीने की अनुमति देना था।
- 1980–83 की मुल्ला समिति के अनुसार उस समय भारत में 28–30 खुली जेलें थी तथा इस तरह का कानूनी ढांचा केवल 13 राज्यों में ही था।
- मुल्ला समिति के द्वारा ही बंद जेलों के पास की भूमि को खुली जेलों के लिए उपयोग करने की सिफारिश की गई।
- मुल्ला समिति ने अपनी सिफारिशों में यह भी कहा कि खुली हवा वाली जेलें काम पर आधारित होती है, जिनमें अधिकांश कैदी कृषि और डेयरी फार्मिंग जैसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं।
- इस समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि खुली जेल को बांधों के निर्माण जैसी सार्वजनिक परियोजना के करीब स्थापित किया जाना चाहिए ताकि कैदियों को रोजगार के अवसर प्रदान किया जा सके तथा उन्हें एक समान वेतन मिलना चाहिए।

➢ सांगानेर खुली जेल :

- सांगानेर खुली जेल या संपूर्णानंद खुला बंदी शिविर वर्ष 1963 में खोला गया था।
- इस खुली जेल का नाम उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल संपूर्णानंद के नाम पर रखा गया है।
- यह खुली जेल राजस्थान की राजधानी जयपुर से 15 km दूर सांगानेर में स्थित है।
- वर्तमान में इस जेल में 14 महिलाओं और उनके परिवारों सहित लगभग 422 कैदी रहते है।
- यह जेल कैदियों को अपने बच्चे के साथ रहने की अनुमति सहित न्यूनतम सुरक्षा के साथ संचालित होता है।
- इस जेल में कैदी ही पानी और बिजली खर्चों का भुगतान करते हैं।
- यहां के कैदी स्थानीय समुदाय के भीतर किराने की दुकान चलाने जैसी अन्य गतिविधियों में शामिल होकर धन एकत्रित करके अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं।
- इस जेल परिसर में बंदी पंचायती भी है, जो कैदियों द्वारा स्वशासन के अपने तरीके से स्थापित किया गया है।
- इस जेल परिसर में प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र सहित खेल का मैदान भी है, जो आसपास के बच्चों के लिए खुला है।

➢ भारत में अन्य प्रकार की जेलें :

- भारत में जेलों को तालुका, जिला और केंद्रीय स्तर पर विभाजित किया गया है।
- भारत में जेलों को सेंट्रल जेल, उप जेल, जिला जेल, महिला जेल, बोस्टर्ल स्कूल और विशेष जेल में बांटा गया है।
- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के वर्ष 2022 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी प्रकार के लगभग 1330 जेल है, जिसमें 34 जेल महिला जेल के रूप में है।